

वादी/प्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

कृष्ण पुत्र जानू वर्मा
(3) कलबी सी. पूरण


शोखाराम पुत्र नैथीराम
वर्मा (10) जाति कलबी सी.
पूरण

किस्म मुकदमा - सजस्व बाद / प्रार्थना पत्र / ...प/ड... 136

नंबर-.....02...../2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
4.2.19	<p>.....<u>पार्थी</u>..... की ओर से अधिवक्ता श्री <u>शोखाराम</u>द्वारा <u>प्राथनापत्र</u> बाबत <u>प/ड 136</u><u>राजस्थान अ. सजस्व आदि. वि. क.</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>जो दिये</u> तलब होकर मिशल आयंदा तारीख <u>22.02.2019</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>	
22.2.19	<p><u>वकुलाय फरीकेन हाफिरा</u> अप्रार्थीगण नं. 3 से 6, 8 व 9 के वस्ते अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह राव द्वारा कालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिशल किया गया। प्रार्थीगण नं. 1 से 3 के वस्ते अधिवक्ता उपस्थित (प्रतिवादी/ अप्रार्थीगण नं. 3 से 6, 8 व 9 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने एक प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विचाराधीन उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 136 में राजीनामा/समझौता ले जाने से आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन के फलस्वरूप उक्त प्रार्थना- पत्र जरिये विद्रोवल खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>	

आदेश आज दिनांक 22.02.2019
को खुले न्यायालय में सुनाया गया। गिरफ्तार
फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो व
दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुर
जिला-जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुर
(राज. जालोर-राज.)